भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **3881**

दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात पर युद्ध का असर

3881 श्री नीरज डांगी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में ईरान और पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध / तनाव के कारण भारत के कृषि निर्यात पर कितना असर पड़ा है और इससे प्रभावित राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने लंबे समय तक चलने वाली युद्ध स्थिति में भारत के कृषि उत्पादों के लिए वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों की खोज हेतु कोई कार्यनीति तैयार की है; और

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि निर्यात में व्यवधान से देश के कई राज्यों के किसानों, विशेषकर बासमती चावल और बागवानी उत्पादों के उत्पादकों को नुकसान हो सकता है, यदि हां, तो उन्हें राहत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) मध्य पूर्व क्षेत्र, विशेष रूप से खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देश, जैसे - संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन और ईरान, इराक और यमन जैसे देश भारतीय कृषि उत्पादों के लिए प्रमुख बाजार हैं।वर्ष 2024-25 में इन देशों को निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों का मूल्य 10.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो भारत के कुल कृषि निर्यात का लगभग 20.5% है। इस क्षेत्र में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में बासमती चावल, भैंस का मांस, ताजे फल और सब्जियां, मसाले, डेयरी उत्पाद आदि शामिल हैं।

सरकार पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में विकसित हो रही भू-राजनीतिक स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है, जिसमें भारत के बाहरी व्यापार, शिपिंग मार्गों और लॉजिस्टिक्स श्रृंखलाओं पर इसके प्रभाव भी शामिल हैं। निर्यातकों ने माल ढुलाई दरों में वृद्धि, युद्ध-जोखिम अधिभार लगाए जाने, कंटेनरों की कमी, शिपमेंट शेड्यूल में देरी और बंदरगाहों पर भीड़भाड़ के रूप में व्यवधानों की रिपोर्ट दी है।

इस स्थिति से निपटने के लिए, वाणिज्य विभाग ने दिनांक 2 मार्च, 2026 को आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन संबंधी अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) को केंद्रीय समन्वय प्लेटफार्म के रूप में परिचालित किया, जिसमें पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), विदेश मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सहित संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों की भागीदारी है। आईएमजी ने नियमित आधार पर समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं, निर्यातकों के लिए एक समर्पित संचार चैनल सक्षम किया है, और समन्वित प्रतिक्रिया के लिए दैनिक स्थिति और कार्रवाई रिपोर्ट संकलित की हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया में समन्वित व्यापार सुविधा, लॉजस्टिक सहायता, सीमा शुल्क सरलीकरण, समुद्री निगरानी और भारत के निर्यात, जिसमें व्यापक खाड़ी क्षेत्र को निर्यात भी शामिल है, पर व्यवधान के प्रभाव को कम करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ सहभागिता पर फोकस किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नवत शामिल हैं:

- डीजीएफटी ने भारतीय निर्यातकों के लिए निर्यात संवर्धन मिशन के तहत निर्यात सुविधा हेतु लचीलापन और संभारतंत्र क्रियाकलाप (आरईएलआईईएफ) नामक एक समय सीमित सहयोग को दिनांक 19 मार्च, 2026 को अधिसूचित किया है जिसे खाड़ी और पश्चिम एशिया समुद्री कॉरीडोर में भू-राजनीतिक व्यवधानों से उत्पन्न हो रहे बढ़े हुए निर्यात जोखिमों से निपटने के लिए भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
- डीजीएफटी ने दिनांक 6 मार्च, 2026 को सार्वजनिक सूचना संख्या 51/2025-26 को जारी कर विनिर्दिष्ट अग्रिम प्राधिकार और ईपीसीजी प्राधिकार के लिए निर्यात दायित्व / खण्ड-वार निर्यात दायित्व पूर्ति अवधि को कंपोजिशन फीस के भुगतान के बिना और डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरणों को इसके लिए आवेदन किए बिना दिनांक 31 अगस्त, 2026 तक बढ़ा दिया है, जहाँ यह अवधि दिनांक 1 मार्च, 2026 और दिनांक 31 जुलाई, 2026 के बीच समाप्त हो रही थी।
- सीबीआईसी ने दिनांक 5 मार्च, 2026 और दिनांक 17 मार्च, 2026 को व्यवधान से उत्पन्न परिचालन संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए फील्ड फॉर्मेशन्स, सीएफएस

संचालकों और व्यापार हितधारकों के साथ विशेष सीमा शुल्क मंजूरी सुविधा समिति (सीसीएफसी) की बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया है।

- सीबीआईसी ने दिनांक 8 मार्च, 2026 के परिपत्र संख्या 09/2026-सीमा शुल्क जारी किया है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के कारण भारतीय बंदरगाहों पर लौटने वाले निर्यात कार्गो को संभालने के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें बर्थिंग, ऑफलोडिंग, लागू मामलों में शिपिंग बिल रद्द करने और अनुरोध पर बैक-टू-टाउन अनुमति की सुविधा शामिल है।
- सीबीआईसी ने दिनांक 17 मार्च, 2026 को परिपत्र संख्या 12/2026-सीमा शुल्क जारी किया है, जिसमें व्यापार प्रवाह की निरंतरता बनाए रखने के लिए सीमा शुल्क पर्यवेक्षण के तहत अस्थायी भंडारण और पुनः निर्यात की अनुमति सहित, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट और डायवर्ट किए गए कार्गो की हैंडलिंग के लिए सरलीकृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- न्हावा शेवा, मुंद्रा और कांडला कस्टम हाउस सहित सीमा शुल्क फील्ड फॉर्मेशन्स ने फंसे हुए निर्यात कार्गो की बैक-टू-टाउन (बीटीटी) आवाजाही के लिए सुविधा उपाय जारी किए हैं और कार्गो की निकासी में तेजी लाने के लिए विनिर्दिष्ट मामलों में भौतिक जांच और बीटीटी से संबंधित शुल्क/जुर्माने को भी माफ कर दिया है।
- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 6 मार्च, 2026 को प्रमुख बंदरगाहों के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसमें हितधारकों की बैठकों, 24x7 नोडल अधिकारियों, मध्य पूर्व जाने वाले कार्गो का अस्थायी भंडारण, अतिरिक्त भंडारण क्षेत्र, बीटीटी आवागमन की सुविधा, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के कार्गो की प्राथमिक रूप से हैंडलिंग और वापस लौटने वाले निर्यात कार्गो की प्राथमिक रूप से हैंडलिंग और कुछ बंदरगाह शुल्कों में मामले-दर-मामले छूट या कमी का प्रावधान है।
- नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) भारतीय जहाजों और भारतीय नाविकों के साथ नियमित संपर्क में रहा है और उसने दिनांक 6 मार्च, 2026 और दिनांक 9 मार्च, 2026 को शिपिंग लाइनों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित की, युद्ध जोखिम और बीमा संबंधी बाधाओं से उत्पन्न परिचालन चुनौतियों का आकलन किया और फारस की खाड़ी क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही की निगरानी की। इसके अलावा, डीजीएस ने शिपिंग लाइनों, वाहकों और उनके एजेंटों को मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और प्रचलित भू-राजनीतिक तनावों के संदर्भ में अनुचित, अपारदर्शी या अवसरवादी शुल्कों से बचने के

लिए दिनांक 9 मार्च, 2026 को जारी परामर्शी परिपत्र संख्या 14/2026 जारी किया है। शिपिंग सेवा प्रदाताओं को यह भी सलाह दी गई है कि वे सभी लागू शुल्कों की जानकारी पहले से ही स्पष्ट रूप से दें और निष्पक्ष व्यापार परिपाटियों का पालन करें, ताकि निर्यातकों पर अनावश्यक लागत का बोझ कम हो और लॉजिस्टिक्स परिचालन में पूर्वानुमान में सुधार हो।

- विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से एडवाईजरी जारी की है और व्यवधानों को कम करने के लिए वैकल्पिक समुद्री मार्गों का पता लगाया है।पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जहाजों की ट्रैकिंग के लिए 24x7 आपातकालीन प्रकोष्ट सक्रिय कर दिया है और कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी शिपमेंट से संबंधित घटनाक्रमों की समीक्षा की है, जिसमें वैकल्पिक मार्ग और आपूर्ति विकल्प शामिल हैं।

सरकार ने लॉजिस्टिक्स व्यवस्था में समायोजन, कनसाईनमेंट के मार्ग में बदलाव और वैकल्पिक पोत परिवहन मार्गों के प्रयोग के माध्यम से व्यापार प्रवाह को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए उपाय किए हैं। अल्पकालिक उपाय के रूप में, वैकल्पिक बंदरगाहों और देशों के बीच ग्रीन कोरिडोर्स के माध्यम से ट्रांस शिप कार्गों भी किया जा रहा है।

संघर्ष के कारण उत्पन्न व्यवधानों के प्रभाव को कम करने और इन प्रमुख बाजारों में व्यापार जारी रखने के लिए उपरोक्त उपाय किए जा रहे हैं, वहीं सरकार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और ओशिनिया क्षेत्र जैसे वैकल्पिक बाजारों में हमारे निर्यात के विस्तार पर भी कार्य कर रही है इसके लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी जैसे निर्यात संवर्धन उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही हाल ही में हुए व्यापार समझौतों के परिचालन से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए हितधारकों की क्षमता का निर्माण किया जा रहा है।

****